

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

1- परियोजना/स्कीम का नाम	उ०प्र० एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवेज के निर्माण के लिये वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत तहसील तिलहर जलालाबाद व सदर की (248.600 से 255.167) तक कुल प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वन भूमि एवं प्रकरण में प्रभावित 865 वृक्षों के पातन हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
ii. जिला	
iii. वन प्रभाग	
iv. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उ०प्र०। शाहजहाँपुर।
v. वन की कानूनी स्थिति	
vi. हरियाली का धनत्व	3.907 हे०
vii. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ० आर० एल०, एफ० आर० एल०-2 मीटर की परिगणना और एफ० आर० एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	संरक्षित वन। 0.3 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।
viii. भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षिप्त टिप्पणी।	
ix. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	भू-क्षरण से प्रस्तावित नहीं है।
x. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया अनुबन्धित की जाये।)	संरक्षित वन सीमा के अन्दर। नहीं।
xi. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातिया पायी जाती है यदि हाँ तो ब्यौरा दे।	नहीं।
xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। नहीं।
2- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार प्रस्तुत क्षेत्र क्या है।	हाँ।
3- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	लागू नहीं है।

4-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	मानचित्र संलग्न है।
iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	वृक्षा का पातन प्रस्तावित नहीं है। अतः सूचना रिक्त है।
iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रु0- .00 का प्राक्कलन संलग्न है।
v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	क्षेत्र प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है। उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षक रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
6-	विभाग/जिला प्रोफाइल	
i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4575 वर्ग किमी0
ii.	जिले का वन क्षेत्र	6464.50 है0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	स्वीकृत मामलों की सं0-23 क्षे0-47.1330 हे0।
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क)- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख)- वनेतर भूमि पर	---
v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में, हुयी प्रगति (क)- वन भूमि पर (ख)- वनेतर भूमि पर	---
7-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	216.4063 हे0 प्रस्ताव में संलग्न शर्तों के साथ जनहित में विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि : 23/11/2021
स्थान : शाहजहाँपुर।

(विभागीय अधिकारी)
अन्तर्गत वन अधिकारी
अन्तर्गत वन अधिकारी
23/11/2021

(संजीव कुमार)
प्रप्रशासकीय वन अधिकारी
वन संरक्षण व वनीकरण विभाग
शाहजहाँपुर।